

two of its affiliated unions have been sorted out. The disputes in the other two unions are being gradually sorted out.

खाद्य पदार्थों में मिलावट

606. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारखाने में तैयार किए गए और 'डिब्बाबन्द' किए गए खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए खुदरा व्यापारी को प्रथवा कम्पनी को उत्तरदायी ठहराया जाएगा ;

(ख) क्या वर्तमान कानून के अन्तर्गत केवल खुदरा व्यापारी को उत्तरदायी ठहराया जाता है जब कि उसे टिन के अन्दर किसी मिलावट की जानकारी नहीं होती और यदि हाँ, तो क्या सरकार इस कानून में उचित संशोधन करेगी ; और

(ग) क्या सरकार सरकारी इन्स्पेक्टर को भी मिलावट के लिए उत्तरदायी ठहराने पर विचार करेगी जो पदार्थों को टिनों में बन्द करने के कार्य की देखभाल करता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) और (ख). खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 19 (1) के अधीन मिलावट प्रथवा बेचने गलत छाप की खाद्य वस्तु सम्बन्धी अपराध के लिए चलाए गए अधिनियम में मात्र यह कहना कि विक्रेता अपने द्वारा बेचे गए खाद्य पदार्थों की किस तब प्रथवा गुण के बारे में अनभिज्ञ था कोई उपाय नहीं माना जाएगा फिर भी उक्त अधि-

नियम की धारा 19(2) के अधीन यदि कोई विक्रेता यह सिद्ध कर देता है कि उसने वह खाद्य वस्तु निर्धारित फार्म में लिखित प्राप्तासन सहित खरीदा था और वह खाद्य वस्तु जितने समय उसके कब्जे में रही उतने समय ठीक ढंग से स्टोर की हुई थी और साथ ही उसने उसे उसी हालत में बेचा जिसमें उसने उसे खरीदा था तो ऐसे व्यापारी को किसी मिलावटी या गलत छाप की खाद्य-वस्तु बेचने का अपराध किया हुआ नहीं माना जाएगा ।

(ग) डिब्बों की पैक करने की देख-रेख करना, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अधीन नियुक्त किये गए खाद्य निरीक्षकों के कर्तव्यों में नहीं आता ।

Non-release of amount of Hyderabad Telephone District Employees' Co-operative Consumer Society Ltd.

607. SHRI GADADHAR SAHA Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether about Rs. 60,000 belonging to Hyderabad Telephone District Employees' Cooperative Consumer Society Ltd. has been withheld by the General Manager, Telephone, Hyderabad for the last 8 months inspite of the directive by the Registrar of Cooperatives to remit the amount to the Society;

(b) whether General Manager, Telephones, has not adhered to constitutional provisions of the Society by withdrawing the Departmental shares worth Rs. 2,500 by adjusting from the amounts recovered from the Members' pay bills; and

(c) whether instructions will be issued to General Manager, Telephones of Hyderabad to release the withheld amount to the Society?